Vasanta College for Women

Rajghat Fort, Varanasi

IMPORTANT NOTICE FOR SC/ST CANDIDATES

In accordance to the Notification No.R.Dev-9/SC/ST/Gen & Fee Reimbursment/2018-19/64144 dated 20/23.07.2018 of Asstt. Registrar (Development) the SC/ST candidates whose **yearly family income is less than ₹2.50 lakhs** and seeks exemption from paying fee at the time of admission by submitting the prescribed Affidavit/Undertaking to the effect that based on the Affidavit/Undertaking submitted by you, you have been exempted from paying full fee **at the time of admission** and only refundable fee (caution money) and compulsory fee(s) are being realized from you. **It is your sole responsibility** to apply with complete details for the SC/ST scholarship/fee reimbursement from the concerned State Government or Central Government within the prescribed time limit. **At any cost, you have to pay the full fee latest by 31**st March of the Academic Session whether you get or don't get the scholarship/fee reimbursement from the State Government or Central Government as the case may be.

सहायक रजिस्ट्रार (विकास) की अधिसूचना संख्या आर.देव-9/एससी/एसटी/जनरल एवं शुल्क प्रतिपूर्तिं/2018- 19/64144 दिनांक 20/23.07.2018 के अनुसार, एससी/एसटी उम्मीदवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.50 लाख से कम है और प्रवेश के समय शपथ पत्र के आधार पर निर्धारित शपथ पत्र/वचन पत्र जमा करके पूर्ण शुल्क का भुगतान करने से छूट चाहते हैं। आपके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार, आपको प्रवेश के समय पूर्ण शुल्क का भुगतान करने से छूट चाहते हैं। आपके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार, आपको प्रवेश के समय पूर्ण शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है और आपसे केवल वापसी योग्य शुल्क (कॉशन मनी) और अनिवार्य शुल्क वसूला जा रहा है। निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार से एससी/एसटी छात्रवृति/शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए पूर्ण विवरण के साथ आवेदन करना पूर्णतया आपकी जिम्मेदारी है। जैसी भी स्थिति हो, आपको अपने वर्तमान शैक्षणिक सत्र के 31 मार्च तक पूरी फीस का भुगतान करना होगा, चाहे आपको राज्य सरकार या केंद्र सरकार से छात्रवृति/शुल्क प्रतिपूर्ति मिले या न मिले।

नोट:- महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाली एससी/एसटी वर्ग की ऐसी छात्राएँ जिन्होंने महाविद्यालय की पूरी फीस BHU प्रवेश पोर्टल पर जमा कर दी है उन सभी छात्राओं को एक क्लेम फार्म BHU द्वारा उनके प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध हो सकता है अतः उन सभी छात्राओं को सलाह दी जाती है कि विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के बाद भी उन्हें अपना प्रवेश पोर्टल समय-समय पर देखते रहना चाहिए और क्लेम फार्म उपलब्ध होने की स्थिति में महाविद्यालय के प्रवेश काउन्टर पर सम्पर्क करें जिससे उनका पैसा समय से प्राप्त हो सके। BHU से फीस वापसी न होने पर भी महाविद्यालय की फीस समय से जमा करना अनिवार्य होगा।